दिनांक-11.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही पर 30 किलोग्राम चोरी का सरिया व 03 भगोने (मोमोज) बरामद

अवगत कराना है कि दिनाकं 10.07.2026 को वादिया परविता देवी पत्नी प्रीतम सिंह निवासी ग्राम नागल माफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.बादल पुत्र बबलू, 2.शिवम पुत्र उदहल व 3.रहमान द्वारा दीवार फांदकर वादिया के घर से 10 हजार रुपये नकद, 02 कट्टे लोहे के सरियो के रिंग से भरे हुए जो लगभग डेढ कुन्तल व 03 भगोने मोमोज स्टीमर चोरी करने के सम्बन्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 192/26 धारा 305(A) बीएनएस पजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मात्र 12 घण्टे में मुकदमा उपरोक्त में ***02 वांछित अभियुक्तगण 1. बादल पुत्र बबलू निवासी ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 2. रहमान पुत्र स्व शमशाद निवासी ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*** *को चैकिग के दौरान इन्द्रपुर तालडा को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशांदेही पर चोरी हुए 01 कट्टा लोहे का सरियों के रिंग से भरा हुआ व 03 भगोने मोमोज स्टीमर व सरिया बांधने का तार बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग नशे के आदि है अपनी जरुरतो की पूर्ति करने के लिए हम लोग दिन मे खाली / बन्द घरों की रैकी करते है और रात के समय मौका पाकर घरों मे घुस कर चोरी कर लेते है आज हम इस चोरी के माल को बेचने के लिए जा रहे थे और पकडे गये

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. *बादल उर्फ रीछ पुत्र स्व बबलू निवासी ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
2. *रहमान पुत्र स्व शमशाद निवासी ग्राम मौ0 भूरी वाला ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरणः-

- *लोहे के सरिया (30 किलोग्राम)*
- *03 स्ट्रीम भोगने (मोमोज)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. *उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम चौकी प्रभारी माता शाकुम्बरी देवी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।*
2. *हे0का0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
3. *का0 1483 विकास यादव तैनाती थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*

दिनांकः **11.07.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.06.2026 वादी की दाखिला तहरीर बाबत दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 300/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अपहर्ता बरामदगी पर विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमे में प्रकाश में आये अभियुक्त ***तालिब पुत्र आस मौहम्मद उर्फ पप्पू निवासी अलहेडी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*** *को महावीर चौक बरकत वाली मस्जिद के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त तालिब उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तालिब पुत्र आस मौहम्मद उर्फ पप्पू निवासी अलहेडी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री उदित गंगवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 1186 सुमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 1245 अंशुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक-11.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गोकशी करने वाले 02 अभियुक्तगण (01 महिला व 01 पुरुष) गिरफ्तार, कब्जे से गोकशी के उपकरण व 01 जिन्दा गोवंश बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, पशु चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

*इसी क्रम में दिनांक 10.07.2026 की रात्रि को थाना चिलकाना पुलिस टीम ग्राम नल्हेडा के चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिग की जा रही थी तो मुखबिर ने सुचना दी कि ग्राम चौरा कला के सरकारी स्कूल के पास वाले ईख के खेत मे कुछ लोग एक गाय के बछडे को गौकशी के उद्देशय से लेकर गये है सूचना पर पुलिस टीम ग्राम नगला से चौरा कला के सरकारी स्कूल के पास ईख के खेत के पास पहुंचे तो 02 पुरूष व 01 महिला ईंख के खेत मे एक गौवंशी बछडे को बाँधकर गौकशी करने वाले थे, जिनकों आवश्यक बल प्रयोग कर पकडने का प्रयास किया गया जिनमे से एक अभियुक्त **अब्दुल वहाब पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से एक महिला व एक पुरूष भागने मे सफल रहे जिनकी तलाश हेतु लगातार काम्बिंग की जा रही है। पुलिस टीम को मौके से गौकशी के उपकरण (लकड़ी का गुटका, वजन तोलने के लिए 01 लोहे का तराजु, 02 कुल्हाड़ी जिसमे लकड़ी का बैंटा लगा है, 02 छुरे, 01 रस्सी, 02 दाँव तथा लोहे के 2 Kg व 01 Kg व 500 ग्राम के 03 बाट व एक प्लास्टिक का कट्टा) व एक गौवंशीय जिन्दा पशु (बछडा) बरामद हुए। विवेचना के क्रम मे अभियुक्ता **शहनाज बानो पत्नी अब्दुल वहाब निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को आज दिनाँक 11.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर कच्चा पक्का मार्ग दुमझेडा रोड से गिरफ्तार किया गया।** गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अब्दुल वहाब पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. शहनाज बानो पत्नी अब्दुल वहाब निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- *गौकशी के उपकरण (लकड़ी का गुटका, वजन तोलने के लिए 01 लोहे का तराजु, 02 कुल्हाड़ी जिसमे लकड़ी का बैंटा लगा है, 02 छुरे, 01 रस्सी, 02 दाँव तथा लोहे के 2 Kg व 01 Kg व 500 ग्राम के 03 बाट व एक प्लास्टिक का कट्टा)*
- *01 जिन्दा गौवंशीय पशु (बछडा)*

अभियुक्त अब्दुल वहाब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0-17/25 धारा -8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. *उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 157 सन्दीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*

5. रि0का0 626 निक्कू सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

दिनांक-11.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव वान्छित/ वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त ***कुलविन्दर उर्फ कुल्लू पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *(सम्बन्धित मु0अ0-सं0 323/20 वाद सं0-9546/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना चिलकाना न्यायालय श्रीमान जे0एम0 द्वितीय सहारनपुर) को ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

कुलविन्दर उर्फ कुल्लू पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2. *का0 2267 विष्णु कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक-11.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से गोकशी के उपकरण व 01 जिन्दा गोवंश बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, पशु चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 10.07.2026 की रात्रि को थाना चिलकाना पुलिस टीम ग्राम नल्हेडा के चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिग की जा रही थी तो मुखबिर ने सुचना दी कि ग्राम चौरा कला के सरकारी स्कूल के पास वाले ईख के खेत मे कुछ लोग एक गाय के बछडे को गौकशी के उद्देशय से लेकर गये है सूचना पर पुलिस टीम ग्राम नगला से चौरा कला के सरकारी स्कूल के पास ईख के खेत के पास पहुंचे तो 02 पुरूष व 01 महिला ईंख के खेत मे एक गौवंशी बछडे को बाँधकर गौकशी करने वाले थे, जिनकों आवश्यक बल प्रयोग कर पकडने का प्रयास किया गया जिनमे से एक अभियुक्त ***अब्दुल वहाब पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से एक महिला व एक पुरूष भागने मे सफल रहे जिनकी तलाश हेतु लगातार काम्बिंग की जा रही है। पुलिस टीम को मौके से गौकशी के उपकरण (लकड़ी का गुटका, वजन तोलने के लिए 01 लोहे का तराजु, 02 कुल्हाड़ी जिसमे लकड़ी का बैंटा लगा है, 02 छुरे, 01 रस्सी, 02 दाँव तथा लोहे के 2 Kg व 01 Kg व 500 ग्राम के 03 बाट व एक प्लास्टिक का कट्टा) व एक गौवंशीय जिन्दा पशु (बछडा) बरामद हुए। विवेचना के क्रम मे अभियुक्ता* ***शहनाज बानो पत्नी अब्दुल वहाब निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को आज दिनाँक 11.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर कच्चा पक्का मार्ग दुमझेडा रोड से गिरफ्तार किया गया।*** *गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्व अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्तग का विवरणः-

1. अब्दुल वहाब पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. शहनाज बानो पत्नी अब्दुल वहाब निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *गौकशी के उपकरण (लकड़ी का गुटका, वजन तोलने के लिए 01 लोहे का तराजु, 02 कुल्हाड़ी जिसमे लकड़ी का बैंटा लगा है, 02 छुरे, 01 रस्सी, 02 दाँव तथा 03 लोहे के बाट व एक प्लास्टिक का कट्टा)*
- *01 जिन्दा गौवंशीय पशु (बछडा)*

अभियुक्त अब्दुल वहाब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0-17/25 धारा -8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 157 सन्दीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*
5. *रि0का0 626 निक्कू सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।*

दिनांक-11.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग युवती बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 10.07.2026 को वादी की लिखित तहरीर पर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का बहला फुसलाकर कर ले जाने सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 343/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अपहर्ता को सकुशल बरामद करते हुए ***वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम बादल पुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को न्यू आवास विकास कालोनी आम के बाग वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

सचिन पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम बादल पुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. *उ0नि0 श्री देवीचरण सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
2. *का0 77 अरूण कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
3. *का0 385 सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
4. *रि0का0 2079 अमित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
5. *पीआरडी 3450 जोगिन्दर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 11-07-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा झपटमारी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 05.07.2026 को वादिनी श्रीमती सविता पत्नी पप्पू सैनी निवासी ग्राम सुनैटी पठलोकर थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा झपट्टा मारकर वादिया के दाहिने कान से कुन्डल छीन ले जाने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 268/26 धारा 304(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 11.07.2026 को चैकिंग के दौरान थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान **01 शातिर अभियुक्त शाहरुख पुत्र फारुख निवासी ग्राम मुजफ्फराबाद मोहल्ला तला पुलिया के पास थाना फतेहपुर सहारनपुर** को शाकुम्भरी रोड़ से रजवाहा नौगाँवा रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 288/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरुख पुत्र फारुख निवासी ग्राम मुजफ्फराबाद मोहल्ला तला पुलिया के पास थाना फतेहपुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
2. है0का0 109 संजीव कुमार, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
3. रि0का0 462 विकास बाबू थाना बेहट, जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: **11.07.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

सादर अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान हत्या के प्रयास के मुकदमें में **वांछित अभियुक्त कैफ पुत्र इस्लाम निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 527/25 धारा 109(1) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर में कैलाशपुर गली के बाहर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कैफ पुत्र इस्लाम निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. म0उ0नि0 प्रीति सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. का0 2308 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

दिनांकः 11.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप बरामद

घटनाओं का विवरणः-

1. दिनांक 10.07.2026 को वादी श्री सानु पुत्र स्व0 पपन उर्फ शिव कुमार निवासी पुराना तेल मील के पास शारदानगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त जोनी पुत्र गोल्डी निवासी शारदानगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर द्वारा वादी के घर मे घुसकर सामान चोरी कर ले जाते समय वादी द्वारा रोकने पर वादी के साथ मारपीट कर वादी का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करना व वादी को छुडाने आयी वादी की ताई श्रीमति मझला रानी के साथ भी मारपीट करना व गाली गलोच करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 312/26 धारा 333/307/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया
2. दिनांक 11.07.2026 को आरक्षी श्री गौरव कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व आरक्षी सुमित कुमार द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. जोनी पुत्र गोल्डी 2. रघुवीर सिंह पुत्र श्रवण सिंह निवासीगण गली नं0- 11 शारदानगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर के द्वारा उपरोक्त दोनों आरक्षीगण के साथ ड्युटी के दौरान गाली गलौच कर मारपीट करना तथा आरक्षी सुमित के साथ लोहे के पाईप से जान से मारने की नियत से सिर नाक मुहँ आदि पर हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देना तथा वर्दी फाड देना व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 313/26 धारा 109(1)/121(2)/132/352 बीएनएस बनाम अभियुक्तगण जोनी व रघुवीर सिंह के विरुध पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास मे वांछित अभियुक्तगण **1. जोनी पुत्र गोल्डी उर्फ श्रवण निवासी गली न0 11 शारदा नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 2. रघुवीर सिह पुत्र गोल्डी उर्फ श्रवण निवासी गली न0 11 शारदा नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को लेबर कालोनी के मोड पर कूडे के ढेर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर सर्किट हाउस के पास खण्डहर बने कमरे के पास घास से घटना में प्रयुक्त लोहे का डण्डा बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. जोनी पुत्र गोल्डी उर्फ श्रवण निवासी गली न0 11 शारदा नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
2. रघुवीर सिह पुत्र गोल्डी उर्फ श्रवण निवासी गली न0 11 शारदा नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 लोहे का पाईप (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त जोनी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

- *1. मु0अ0स0 121/2023 धारा 323/325/427/452/504/506 भादावि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
- *2. मु0अ0स0 512/2025 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री शंशाक गिरि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 1046 सतेन्द्र सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 1344 संदीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
5. *रि0का0 1390 मोहित थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
6. *का0 2432 अनिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
7. *का0 1400 आशुतोष कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः **11.07.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 10.07.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान अभियुक्त ***सौरभ पुत्र राम निवासी खजूरहेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर*** *को सर्किट हाऊस के पास नाले की छोटी दिवार के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 311/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सौरभ पुत्र राम निवासी खजूरहेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- *01 नाजायज चाकू*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *उ0नि0 श्री शशांक गिरी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
2. *है0का0 1046 सतेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः **11.07.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू व 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.07.2026 को गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण ***1.रफीक पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम दासा माजरा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 2. एजाज पुत्र इमरान नि0 बुड्डा खेडा परागपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को रुपडी रोड नाला बम्बा थाना कुतुबशेर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 चाकू नाजायज व 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ । अभियुक्तगणो के कब्जे से मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस सीज शुदा रजि0 नं- UP11AZ0498 को सीज किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर पर मु0अ0सं0 314/26 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगणों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

1. *रफीक पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम दासा माजरा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ।*
2. *एजाज पुत्र इमरान नि0 बुड्डा खेडा परागपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ।*

बरामदगी का विवरणः -

- *01 चाकू नाजायज*
- *01 तमंचा नाजायज मय 01 जिंदा कारतूस*
- *01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस (सीज- रजि0 नं- UP11AZ0498)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *उ0नि0 श्री कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
2. *है0का0 1157 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
3. *का0 234 अरुण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
4. *रि0का0 1391 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
5. *रि0का0 1381 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा रंगदारी के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 11.07.2026 को वादी श्री सनव्वर पुत्र मौहम्मद हनीफ निवासी हुसैन बस्ती घास कांटा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **सलमान पुत्र सलीम निवासी हुसैन बस्ती घास कांटा थाना मण्डी जनपद सहरानपुर** द्वारा वादी को हाथ पैर तोड देने का भय दिखाकर प्रति महीना 1,000/- रूपये की रंगदारी मांगने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0-165/2026 धारा– 308(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सलमान पुत्र सलीम निवासी हुसैन बस्ती घास कांटा थाना मण्डी जनपद सहरानपुर** को पुरानी चुंगी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र सलीम निवासी हुसैन बस्ती घास कांटा थाना मण्डी जनपद सहरानपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. का0 2421 ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 1337 दिपेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 11.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभियुक्त ***फैसल पुत्र रहीश अहमद उम्र0-30 वर्ष निवासी किला नबावगंज गली नं0-02 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को अंदर इलाका थाना क्षेत्र से कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत किला नबावगंज गली नं0-02 से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फैसल पुत्र रहीश अहमद निवासी किला नबावगंज गली नं0-02 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
2. *का0 2421ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
3. *रि0 का0 1337 दिपेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक- 11.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर टीम द्वारा आनलाइन साईबर ठगी के शिकार हुए पीडित के खाते मे 3499/- रूपये की शत-प्रतिशत धनराशि वापस करायी गयी

अवगत कराना है कि आवेदिका सुहालिया पुत्री बाहार अहमद निवासी 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3499/- रूपये धोखाधडी करके साईबर ठगी के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर दिनांक 28.01.2026 को साईबर कम्पलैन्ट नम्बर 33101260021039 के 3499/- रुपये कटने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुयी थी। प्राप्त शिकायत की जाँच थाने पर गठित साइबर हैल्प डैस्क थाना कुतुबशेर द्वारा की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा थाने पर उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी समस्त धनराशि 3499/- रूपये आवेदिका सुहालिया उपरोक्त के खाते में वापस करायी गयी है। आवेदिका सुहालिया उपरोक्त द्वारा थाना साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साईबर टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री कंवरपाल थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
4. कम्प0आप0 ग्रेड-ए अरुण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. हैड का0 809 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 11.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी 81,300/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडिता के खाते मे वापस करायी गयी

अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2026 को पीडिता मीना पत्नि राहुल रावत निवासी छोटी लाईन न्यू मक्खन कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा PNB MET LIFE POLICY की किस्त भरने को लेकर समस्त जानकारी प्राप्त कर साइबर फ्रॉड के माध्यम से 81,300/- रुपये ठग लेने के सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा हैल्पलाईन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 23107260127680 दर्ज करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर ठगी मे आनलाइन धोखाधड़ी कर ठगे गये रूपयो की वापसी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आनलाईन धोखाधडी के माध्यम से ठगी गयी 81,300/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडिता के खाते में वापस करायी गयी। धनराशी वापस आने पर पीडिता के पति राहुल रावत द्वारा थाना सदर बाजार साइबर हैल्प डैस्क का आभार प्रकट किया गया।

वापस करायी गयी धनराशिः-

- *81,300/- रुपये*

धनराशि वापस कराने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री आन्नद पोसवाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव मठान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर। (साईबर सैल)
5. रि0का0 2121 राजीव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
6. रि0म0का0 2269 शिवानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 11.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा पूर्व मे गौकशी के अभियोगों से सम्बन्धित 12 अभियुक्तों को शान्ति भंग करने मे किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी करने वाले अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा पूर्व मे गौकशी के अभियोगो से सम्बन्धित 12 अभियुक्तो ***1. सलमान पुत्र काला निवासी मौ0 जाकिर हुसैन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 2. गफ्फार पुत्र रफीक निवासी मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 3 अमीर पुत्र बुन्दू नि0 मौ0 हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 4. रहीश पुत्र बुन्दू नि0 मौ0 हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 5. एजाद पुत्र इलियास नि0 मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 6. राशिद पुत्र फकरूद्दीन निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 7.साकिब पुत्र गुफरान निवासी ग्राम औरंगजेबपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 8. इसरार पुत्र इकबाल निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 9. नदीम पुत्र खालिद निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 10. इरशाद पुत्र जफर नि0 मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर 11. शारूख पुत्र हनीफ निवासी मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर 12. आदिल पुत्र नासिर निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को शान्ति भंग मे आमदा फसाद होने पर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. सलमान पुत्र काला निवासी मौ0 जाकिर हुसैन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
2. गफ्फार पुत्र रफीक निवासी मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
3 अमीर पुत्र बुन्दू नि0 मौ0 हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
4. रहीश पुत्र बुन्दू नि0 मौ0 हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
5. एजाद पुत्र इलियास नि0 मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
6. राशिद पुत्र फकरूद्दीन निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
7. साकिब पुत्र गुफरान निवासी ग्राम औरंगजेबपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
8. इसरार पुत्र इकबाल निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
9. नदीम पुत्र खालिद निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
10 इरशाद पुत्र जफर नि0 मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।
11. शारूख पुत्र हनीफ निवासी मौ0 मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।
12.आदिल पुत्र नासिर निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरणः-</u>

1. उ0नि0 श्री रोहताश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 नरेन्द्र कुमार सोलंकी, थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 436 जाबिर अली थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

5. का0 628 प्रियाँशू कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

6. का0 588 राजकुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

7. का0 1349 नितिन धनकड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 11.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द द्वारा मोबाइल चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 10.07.2026 को वादी सावन पुत्र बालेश निवासी मौ0 अलीपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोरों द्वारा गौरव कुमार पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम कुर्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के निर्माणाधीन मकान से वादी का मोबाईल फोन वन प्लस नॉर्ड CE2 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 505/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात किया गया।

पुलिस कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट/डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण **1. तुषार पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी शिव विहार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 2. आयुष पुत्र लक्ष्मण सिह निवासी गणेशपुरम कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3- सुफियान पुत्र महरबान निवासी तल्हेडी चुंगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को जियो पैट्रोल पम्प के पास वसुन्धरा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आयुष की जेव से चोरी किया गया **01 मोबाईल (वन प्लस नोर्ड सीई 2 स्काईबलू कलर)** बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. तुषार पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी शिवविहार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. आयुष पुत्र लक्ष्मण सिह निवासी गणेशपुरम कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. सुफियान पुत्र महरबान निवासी तल्हेडी चुंगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोबाइल फोन (वन प्लस नोर्ड सीई-2 स्काईबलू कलर)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 डैनी कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।
2. हे0का0 1212 अनुज थाना देवबन्द सहारनपुर।
3. हे0का0 770 शिव कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।
4. का01980 योगेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।
5. रि०का0 676 अमरजीत थाना देवबन्द सहारनपुर।